	(ल) नियंत्रण तथा पाबन्दी जिसके अनुसार द्वीप परिषद धारा 69 की उप धारा (1) के अधीन समिति नियुक्त कर सकती है; (व) कारण जिसके कारण धारा 69 की उप धारा (2) के तहत समितियाँ विघटित की जा सकती है और पद्धति जिसके तहत् समितियों का पुनर्गठन किया जा सकता है; (श) अभिरक्षा जिसमें धारा 74 की उप धारा (3) के अधीन द्वीप परिषद निधि को रखा जा सकता है; (ष) प्रक्रिया तथा सीमाएँ जिसके अनुसार धारा 75 की उप धारा (1) के अधीन कर, चुँगी, उपकर और शुल्क लगाए जा सकते है; (स) फार्म जिसमें धारा 79 की उप धारा (1) के अधीन मांग नोटिस भेजी जा सकती है; (ह) पद्धति जिसके तहत धारा 79 की उप धारा (2) के अधीन मांग की नोटिस जारी की जा सकती है; (क्ष) पद्धति जिसके तहत् धारा 80 के अधीन प्राप्ति एवं खर्च का लेखा अनुरक्षित किया जा सकता है; (त्र) समय तथा पद्धति जिसके तहत् धारा 81 की उप धारा (1) के अधीन द्वीप परिषद बजट तैयार कर सकता है; (ज्ञ) पद्धति जिसमें धारा 82 की उप धारा (1) के अधीन द्वीप परिषद के लेखा की लेखा परीक्षा की जा सकती है; (कक) धारा 91 के तहत् जिला योजना समिति का गठन किया जा सकता है; (कख) जिला योजना समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; (कग) पद्धति जिसमें धारा 107 के तहत् अभिलेख वर्गीकृत और संरक्षित किए जा सकते हैं; (कघ) धारा 108 के तहत् अभिलेखों के निरीक्षण और सत्यापित प्रतियाँ प्रदान करने के लिए भुगतान किए जाने वाले शुल्क;	
	111.(1) इन विनियमों के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों की शर्तों पर उपायुक्त निम्नलिखित बातों के लिए उपनियम बना सकते हैं :— (क) स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जल के किसी भी स्रोत से पीने के प्रयोजन से जल उठाने अथवा उपयोग पर प्रतिबन्ध;	